

Result Mitra Daily Magazine

पीएम आवास योजना

✓ हालिया संदर्भ :-

- ग्रामीण विकास राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी द्वारा राज्यसभा में उपलब्ध करवाए आंकड़े के अनुसार 2016 से अब तक बिहार में पीएम-आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 37,01,362 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें से 36,58,471 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
- बिहार में घरों के निर्माण कार्य पूरा होने की दर लगभग 99 % है।
- उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दरभंगा जिले में सर्वाधिक 2.15 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2.13 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
- सबसे कम घरों की स्वीकृति शेखपुरा जिले में हुई है।
- शेखपुरा में स्वीकृत 21,348 घरों में से 21,108 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

✓ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :

- इसे (PM-AY-G) 1 अप्रैल 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- इस योजना को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना है।
- इसके अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवार को, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध करवाया जाता है।
- साथ ही इसके अंतर्गत BPL परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) को उनके अनुपयोगी कच्चे मकान के जीर्णोद्धार एवं नए मकान के निर्माण के लिए पूर्ण अनुदान प्रदान किया जाता है।



✓ लाभार्थी :

- SC/ST से संबंधित लोग,
- गैर SC/ST से संबंधित लोग,
- विधवा महिलाएं, बंधुआ मुक्त मजदूर, पूर्व सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों के रिटायर सदस्य,
- दिव्यांग व्यक्ति, रक्षाकर्मियों के परिजन एवं अल्पसंख्यक

✓ चयन प्रक्रिया :

- इसके अंतर्गत लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरती है।
- इसमें 2011 के सामाजिक-आर्थिक जनगणना, ग्राम सभा की स्वीकृति एवं जियो-टैगिंग प्रक्रिया शामिल है।
- महिला-सशक्तीकरण को बढ़ाने में भी इस योजना का योगदान है, क्योंकि योजना महिला सदस्य या संयुक्त रूप से महिला-पुरुष के नाम प्रदान किये जाते हैं।

✓ लागत-साझाकरण :

- मैदानी राज्यों के लिए राज्य एवं केन्द्र के बीच प्रति यूनिट लागत में 40:60 की हिस्सेदारी।
- पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्य एवं उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के लिए यह अनुपात केन्द्र के साथ 10:90 का।
- सभी केन्द्रशासित प्रदेशों में पूर्ण लागत का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

✓ विशेषताएं :

- स्वच्छ खाना पकाने के स्थान के साथ घर का न्यूनतम आकार 25 Square metre होनी चाहिए।

- पूर्व में यह 20 Sq. m. था।
- प्रत्येक घर के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख की सहायता दी जाएगी, जबकि पहाडी क्षेत्रों में यह राशि 1.30 लाख रूपए है।
- पूर्व में यह राशि क्रमशः 70,000 और 75,000 रूपए थी।
- इस योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण या मनरेगा या किसी अन्य वित्तपोषण स्रोत के साथ अभिसरण के द्वारा शौचालयों आदि के निर्माण के लिए लाभ प्रदान किया जाता है।
- इसके अलावा इस योजना में अन्य विभिन्न सरकारी योजनाओं का भी अभिसरण किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी को नल का जल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन एवं LPG कनेक्शन की सुविधा प्राप्त हो सके।

Note :- यह योजना 2022 तक के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 2024 तक के लिए कर दिया है।

✓ विशेष :

- विशेष तथ्य यह है कि मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3 करोड़ घरों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई।
- इसमें से एक करोड़ घर पीएम आवास योजना-शहरी एवं 2 करोड़ घर पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत बनवाए जाएंगे।

✓ 27.07.2024 तक स्थिति :

- PM-AY-G के तहत स्वीकृत कुल घरों की संख्या - 2,95,00,000
- रजिस्टर्ड लाभार्थी की संख्या - 3,24,56,082
- जियो-टैगिंग - 3,17,87,866
- स्वीकृति प्राप्त घरों की संख्या - 2,94,65,150
- पूर्ण-निर्माण वाले घरों की संख्या - 2,64,08,975
- पूर्ण-निर्माण वाले घरों की संख्या (%) में - 89.52 %

✓ सर्वाधिक स्वीकृत घरों की संख्या वाले राज्य :

1. राजस्थान

कुल स्वीकृत घर : 17,16,779

कुल निर्मित घर : 16,95,959

% पूर्ण निर्माण : 98.67%

2. बिहार

कुल स्वीकृत घर : 37,01,362

कुल निर्मित घर : 36,59,663

% पूर्ण निर्माण : 98.87%

3. मध्यप्रदेश

कुल स्वीकृत घर : 37,99,546

कुल निर्मित घर : 36,64,816

% पूर्ण निर्माण : 96.45%

4. पश्चिम बंगाल

कुल स्वीकृत घर : 45,69,423

कुल निर्मित घर : 34,13,287

% पूर्ण निर्माण : 74.69%

5. UP

कुल स्वीकृत घर : 36,14,870

कुल निर्मित घर : 35,88,339

% पूर्ण निर्माण : 99.26%

6. तमिलनाडू

कुल स्वीकृत घर : 7,47,202

कुल निर्मित घर : 6,21,040

% पूर्ण निर्माण : 83.12%

7. झारखंड

कुल स्वीकृत घर : 15,92,610

कुल निर्मित घर : 15,61,657

% पूर्ण निर्माण : 98%

8. असम

कुल स्वीकृत घर : 20,51,842

कुल निर्मित घर : 19,05,980



% पूर्ण निर्माण : 92.9%

9. ओडिशा

कुल स्वीकृत घर : 27,25,585

कुल निर्मित घर : 22,30,473

% पूर्ण निर्माण : 81.83%

10. महाराष्ट्र

कुल स्वीकृत घर : 13,74,105

कुल निर्मित घर : 12,49,059

% पूर्ण निर्माण : 90.89%

Note :- उपरोक्त आंकड़े PM-AY-G के आधिकारिक डैशबोर्ड से लिए गए हैं।

- सर्वाधिक स्वीकृत घरों के मामले में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर, जबकि पूर्ण निर्माण प्रतिशतता के मामले में UP पहले स्थान पर है।

✓ प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)

- शुरुआत- 25 जून 2015 को,
- आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन,
- शहरी क्षेत्रों में वंचित परिवारों को पक्के मकान की सुविधा प्रदान करना उद्देश्य।
- पूर्व में योजना 2022 तक लेकिन अब 2024 तक के लिए बढ़ाया गया।

✓ योजना के लाभार्थी :

- झुग्गी-झोपड़ी निवासी,
- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), निम्न आय एवं मध्यम आय समूह के परिवार
- Ews :- जिनके परिवार की कुल अधिकतम वार्षिक आमदनी 3,00,000 से ज्यादा न हो।
- निम्न आय समूह - जिनके परिवार की अधिकतम सालाना आय 6,00,000 से ज्यादा न हो।
- मध्यम आय समूह - जिनके परिवार की अधिकतम सालाना आय 18,00,000 से ज्यादा न हो।

Note :- 'परिवार' शब्द में पति-पत्नी एवं अविवाहि बेटे एवं बेटियां शामिल हैं।

✓ ISSR :

- स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत निजी बिल्डरों द्वारा भूमि का उपयोग करते हुए योग्य झुग्गी निवासियों को प्रति घर 1 लाख रूपए की सहायता प्रदान की जाती है।

✓ CHSS :

- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत EWS, निम्न एवं मध्यम आय समूह वाले परिवार को सस्ते ब्याज दरों पर आवास ऋण प्रदान किया जाता है, जिनके तीन वर्ग हैं -

1. 6 लाख तक की ऋण पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी।
2. 9 लाख तक की ऋण पर 4% की ब्याज सब्सिडी।
3. 12 लाख तक की ऋण पर 3% की ब्याज सब्सिडी।

✓ AHP :

- अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप कार्यक्रम के तहत EWS परिवार को आवास के लिए 1.5 लाख की सहायता प्रदान की जाती है।

✓ PMAY-U की विशेषता :

- आवासों में शौचालय, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति एवं बिजली तथा LPG की कनेक्शन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, SC-ST एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडरों व अल्पसंख्यकों को योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है।
- योजना में लाभार्थी का नाम मुख्यतः महिला या संयुक्त रूप से दोनों का होता है।
- PMAY-G की तुलना में इस योजना के क्रियान्वयन की रफ्तार धीमी है।

✓ इंदिरा आवास योजना :

- 1985 में शुरू,
- पूर्व में सिर्फ SC एवं ST के लिए,
- 1993-94 में सभी वर्गों के गरीब के लिए,
- 2016 में PMAY-G से प्रतिस्थापित।



Result Mitra